7

राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 और भारतीय भाषा शिक्षण

प्रभाकर कुमार*

भाषा के बिना किसी भी समाज की कल्पना करना संभव नहीं है; क्योंकि भाषा के माध्यम से ही मनुष्य अपने विचारों का आदान-प्रदान करता है। भाषा कला और संस्कृति से अटूट रूप से जुड़ी हुई है। किसी भी भाषा में बातचीत लोगों में अपनापन बढ़ाती है। जब तक किसी मनुष्य में भाषा का विकास नहीं होता है तब तक उसका सर्वांगीण विकास संभव नहीं है, इसलिए भाषा का विकास जरूरी है। लेकिन यह सब तभी संभव है जब भाषा का शिक्षण भी ठीक ढंग से किया जाए। *राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020* में यह चिंता जाहिर की गई है कि विभिन्न भारतीय भाषाएँ विलुप्त होने के कगार पर हैं विशेषतः वे भाषाएँ जिनकी लिपि नहीं है। प्रस्तुत आलेख में इन्हीं बिंदुओं को केंद्र में रखकर बात की गई है। *राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020* के सुझावों को ध्यान में रखकर भारतीय भाषाओं का शिक्षण कैसे बेहतर हो सकता है, इस पर विचार करने की आवश्यकता है।

भाषा के द्वारा ही हम अपने विचारों को दूसरों तक पहुँचाते हैं और दूसरों के विचारों को समझ पाते हैं। अगर भाषा नहीं होती तो विचारों का आदान-प्रदान असंभव था, इसलिए भाषा का हमारे जीवन में महत्वपूर्ण स्थान है। अगर दुनियाभर में भाषाओं की बात करें, तो यह पाते हैं कि दुनिया में कुल 6500 भाषाएँ हैं। जो अलग क्षेत्रों में अलग-अलग लोगों द्वारा बोली जाती हैं और सभी भाषाओं का अपना-अपना महत्व है। अगर भाषाओं की चुनौतियों की बात करें, तो पाते हैं कि "दुनियाभर में भाषाओं को विभिन्न चुनौतियों का सामना करना पड़ता है, कुछ वैश्विक रूप से साझा की जाती हैं और अन्य विशेष देशों और क्षेत्रों के लिए विशिष्ट होती हैं।" उसी प्रकार से भारतीय भाषाओं के साथ भी चुनौतियाँ जुड़ी हैं। भारत में अगर भाषा की बात करें, तो भारतीय संविधान में सिर्फ 22 भाषाओं को मान्यता प्राप्त है। जबकि कुछ भाषाओं को मान्यता प्राप्त नहीं है, वहीं कुछ भाषाएँ विलुप्त हो गईं, तो कुछ लुप्तप्राय हैं। जिसकी चर्चा *राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020* में की गई है, जो इस प्रकार से है— "पिछले 50 वर्षों में 220 भाषाओं को खो

*शोधार्थी, हिंदी विभाग, हैदराबाद विश्वविद्यालय, हैदराबाद, तेलंगाना 500 046

दिया और 197 भाषाओं को लुप्तप्राय घोषित किया गया है।" संविधान द्वारा स्वीकृत 22 भाषाएँ हैं; उनमें हिंदी का नाम सबसे पहले आता है, क्योंकि हिंदी को बोलने और समझने वालों की संख्या भारत में सबसे अधिक है। उसके बाद अन्य भाषाओं का स्थान आता है, लेकिन अगर भारत में भाषा शिक्षण की बात करें, तो पाते हैं कि भाषा शिक्षण में लगातार सुधार की आवश्यकता है। भाषा शिक्षण के लिए जिस प्रकार के कदम उठाने चाहिए थे वह अब तक नहीं उठाए गए। उसी का परिणाम है कि भाषा शिक्षण के क्षेत्र में हम पिछड़ते चले गए और कई भाषाओं का शिक्षण और उन पर ध्यान नहीं देने के कारण वह भाषा विलुप्त हो गई, तो कई भाषाएँ विलुप्त के कगार पर हैं।

भारत में भाषाओं की चुनौतियों की बात करें, तो पाते हैं कि भारत में भाषा संबंधी चुनौतियाँ बहुत पहले से हैं। जिसकी चर्चा 'भारतीय भाषाओं का शिक्षण' में भी की गई है और *राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020* हो या (एन.सी.एफ.-एस.ई.) 2023 इन सभी दस्तावेजों में भाषा संबंधित समस्याओं को दिखाया गया है, विद्यालयी शिक्षा के लिए राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा एन.सी.एफ.-एस.ई. 2023 की बात करें, तो पाते हैं कि भाषा से संबंधित समस्याएँ कुछ इस प्रकार हैं—

- भाषा सीखने के लिए आवंटित अपर्याप्त समय;
- निम्न गुणवत्ता वाली शिक्षण सामग्री;
- शिक्षकों की तैयारी का अपर्याप्त स्तर;
- अप्रभावी शैक्षणिक रणनीतियाँ;
- योग्यता-केंद्रित शिक्षण के बजाय सामग्री-पूर्णता-केंद्रित;
- स्मृति-आधारित मूल्यांकन।

वर्तमान समय में अगर भाषा शिक्षण की बात करें, तो वह संतोषजनक दिखाई नहीं पड़ता है, क्योंकि भाषा की कक्षा के लिए ज्यादातर रटंत प्रणाली का प्रयोग किया जाता है। जिसकी चर्चा 'भारतीय भाषाओं का शिक्षण' में की गई है कि "भाषा की कक्षाएँ अभी भी बोरियत भरी व उबाऊ बनी हुई हैं और व्यवहारवादी ढाँचे का ही अनुसरण कर रही हैं।" भाषा शिक्षण के लिए जिस प्रकार की पद्धति का प्रयोग होना चाहिए वह नहीं किया जाता है। भाषा शिक्षण के लिए जिस तरह का समग्रतावादी दृष्टिकोण अपनाया जाना चाहिए था, वह अब तक नहीं हुआ है। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद के राष्ट्रीय शिक्षा आयोग (कोठारी आयोग) में भी शिक्षण विधियों विभिन्न स्तरों पर विभिन्न शिक्षण विधियों के प्रयोग करने की बात की गई थी। अगर पहली शिक्षा नीति 1968 को देखते हैं, तो इस शिक्षा नीति 1968 में सभी भाषाओं की शिक्षण की व्यवस्था की बात की गई थी, वहीं अगर देश की दूसरी राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 को देखते हैं, तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 के 20वें भाग 'भाषा विकास' में आधुनिक भारतीय भाषाओं के विकास और हिंदी को विकसित करने के लिए आर्थिक सहायता देने की बात की गई थी और त्रिभाषा सूत्र के बारे में बात की गई। लेकिन भाषाओं के विकास के लिए जो कदम उठाना चाहिए था, वह सिर्फ राष्ट्रीय *शिक्षा नीति 2020* में किया गया है। इस नीति में त्रिभाषा सूत्र के साथ-साथ भारतीय भाषाओं के विकास पर बल दिया गया है। *राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020* में भारतीय भाषाओं के शिक्षण और अधिगम को स्कूल और उच्चतर शिक्षा के प्रत्येक स्तर के

साथ एकीकृत करने की आवश्यकता पर बल दिया गया है। भाषाएँ जीवंत और प्रासंगिक बनी रहें इसके लिए उस भाषा में पाठ्यपुस्तक, अभ्यास पुस्तकें, नाटक, कविताएँ, उपन्यास, पत्रिकाएँ आदि प्रिंट सामग्री उपलब्ध होनी चाहिए। जिस प्रकार अंग्रेजी, जर्मन, फ्रेंच, हिब्रू आदि भाषाओं में दुनिया की अन्य भाषाओं की महत्वपूर्ण सामग्री का अनुवाद किया जाता है उसी तरह से भारतीय भाषाओं में भी होना चाहिए, लेकिन प्रिंट सामग्री और शब्दकोष के मामले में भारत की गति काफी धीमी है। भाषा-शिक्षण में भी बदलाव करने की बात की गई है। भारतीय भाषाओं के शिक्षण में भी सुधार करने की बात की गई है और भाषा-शिक्षण की रटंत प्रणाली का जो प्रयोग किया जाता रहा है। उसके स्थान पर अनुभव-आधारित बनाने की पहल को प्राथमिकता प्रदान की है। भाषा शिक्षण के लिए 'भारतीय भाषाओं का शिक्षण' में जो संकल्पना प्रस्तुत की गई थी और भाषा शिक्षण किस प्रकार से होना चाहिए; वह *राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020* में देखने को मिलता है। *राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020* में भाषा शिक्षण के लिए सिर्फ बात ही नहीं की गई है, बल्कि इस नीति में भाषा शिक्षण के लिए अनुभवात्मक-अधिगम शिक्षणशास्त्र पर बल दिया है और विभिन्न भाषाओं को सीखने के लिए और भाषा शिक्षण को लोकप्रिय बनाने हेतु तकनीक का वृहद उपयोग करने के संकेत हैं। *राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020* में भाषा विकास पर उन सभी मुद्दों को ध्यान में रखा गया जिसकी चर्चा 'यूनेस्को' 2021 द्वारा की गई है, जो इस प्रकार है— "शिक्षकों को अपने विद्यार्थियों को सुनने और पढ़ने की सामग्री से अवगत कराना चाहिए जो उनके वर्तमान भाषा प्रवीणता स्तरों से कुछ ऊपर है।" इन्हीं बिंदुओं को ध्यान में रखकर *राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020* के तहत एन.सी.एफ.-एस.ई. 2023 का निर्माण किया है। इस दस्तावेज में भी भाषा-शिक्षण के लिए जो आवश्यक कदम उठाए गए है उसमें भाषा शिक्षण को उबाऊ और रटंत प्रणाली से अनुभवात्मक-अधिगम की बात की और 21वीं सदी के अनुसार भाषा शिक्षण में बदलाव करने की बात की गई है। जो इस प्रकार से है—

- साहित्य कौशल विकसित करने के लिए साहित्य का आनंद लेना सिखाया जाना चाहिए। अपने आस-पास के घर परिवार के परिवेश से जुड़ी भाषा के साथ साहित्य के चयन में क्षेत्रीय, राष्ट्रीय और वैश्विक लेखकों और विधाओं से परिचित कराया जाना चाहिए।
- भाषायी कौशल को विकसित करने के लिए विभिन्न गतिविधियों का प्रयोग किया जा सकता है, जैसे— रचनात्मक लेखन का अभ्यास करने की अनुमति देनी चाहिए।
- प्रत्येक राज्य के विद्यार्थियों द्वारा भारतीय साहित्य को पढ़ने के प्रावधान होने की बात की गई।
- वाकपटुता विकसित करने के लिए भाषा की कक्षा में विभिन्न प्रकार की गतिविधियों का प्रयोग करना चाहिए, जैसे— रोल प्ले, नाटक और साक्षात्कार आदि।
- लेखन कौशल को विकसित करने के लिए विभिन्न गतिविधियों को अपना सकते हैं, जैसे— कहानी लिखना, चित्रों के उपयुक्त शीर्षक खोजना, घटनाओं की आकर्षक सुर्खियाँ, पोस्टर बनाना आदि।

- पठन कौशल को विकसित करने के लिए विभिन्न गतिविधियों का प्रयोग करने का सुझाव दिया गया, जैसे— कहानी, कविता, नाटक, निबंध, कॉमिक्स, कार्टून आदि पढ़ने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए।

इस प्रकार से हम देख सकते हैं कि विद्यालयी शिक्षा के लिए राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2023 जो कि *राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020* के तहत बनाया गया है। इस विद्यालयी पाठ्यचर्या में भाषा शिक्षण में बदलाव और नवाचार को केंद्र में रखकर इस विद्यालयी पाठ्यचर्या का निर्माण किया गया है। इसमें सिर्फ नवाचार की बात ही नहीं की गई है, बल्कि उस नवाचार के क्रियान्वयन के तरीके भी बताए गए हैं। जिसकी जरूरत भारतीय शिक्षा में खासकर भाषा शिक्षण में बहुत पहले से दिखाई पड़ती है और जिसके कारण भारतीय भाषाओं को नुकसान भी हुआ है। इसे प्रत्यक्ष प्रमाण के रूप में *वार्षिक स्थिति शिक्षा रिपोर्ट 2014* में दिखाया गया था कि "कक्षा 3 के 75 प्रतिशत, कक्षा 5 के 50 प्रतिशत, कक्षा 8 के 25 प्रतिशत विद्यार्थी कक्षा 2 की पुस्तक पढ़ने में असमर्थ पाए गए।" यह सब इसलिए हुआ कि भाषा शिक्षण के लिए अभी भी व्यवहारवादी विधि का ही प्रचलन अधिक किया जाता है, रटंत प्रणाली और व्याख्यान विधि का प्रयोग अधिक होता है। जिस बात की चर्चा भारतीय शिक्षा का समाजशास्त्र में की गई है (सत्यपाल, 2012) "95 फीसदी से भी अधिक विद्यालयों और कॉलेजों में लेक्चर मैथड और अन्य पुरानी पद्धतियों का ही प्रयोग हो रहा है।" इसके कई कारण हो सकते हैं। जैसे—

- भाषा शिक्षण पर विशेष ध्यान न होना।
- भाषा शिक्षकों को तकनीकी तथा शिक्षण विधियों तथा शिक्षणशास्त्र और अध्यापक की जानकारी का अभाव होना।
- भाषा शिक्षकों द्वारा अपने पेशे में रुचि न रखना।
- भाषा शिक्षण में प्रयोग की जाने वाली तकनीकी का अभाव होना और शिक्षकों को उचित प्रशिक्षण न मिलना।
- राष्ट्रीय स्तर पर भाषाओं के विकास के लिए आवश्यक कदम न उठाया जाना।
- भारतीय भाषाओं के शिक्षण या विकास पर अधिक ध्यान न होना या भाषा शिक्षण या विकास को गंभीरता से न लेना।

इसके और कई कारण हो सकते हैं, लेकिन अब तक की जो भी शिक्षा नीति आई उनमें भाषा विकास या शिक्षण को लेकर इतने व्यापक स्तर पर बदलाव की बात नहीं की गई थी। *राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020* ऐसी पहली नीति है, जिसमें 21वीं सदी के अनुसार शिक्षा में बदलाव को ध्यान में रखकर भाषा शिक्षण या भाषाओं के विकास पर बल दिया गया है। यह प्राथमिक से लेकर उच्च शिक्षा के सभी स्तरों पर भाषा शिक्षण में बदलाव की बात करता है।

निष्कर्ष

बच्चों में भाषा, कला और संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए कई कदम उठाए जा रहे हैं, जैसे— बहुभाषिकता को प्रोत्साहित करना, त्रिभाषा का जल्द क्रियान्वयन करना, मातृभाषा/स्थानीय भाषा में शिक्षण, उत्कृष्ट स्थानीय कलाकारों, लेखकों, हस्त कलाकारों, संगीत कला आदि को स्कूलों से जोड़ना, पाठ्यचर्या में पारंपरिक भारतीय ज्ञान का समावेशन

करना इत्यादि। अपने परिवेश से जोड़ते हुए स्थानीय भाषा मे शिक्षण सदैव लाभदायक होता है तथा अनुभव-आधारित शिक्षण को स्कूलों से जोड़ना चाहिए। *राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020* में भारतीय भाषाओं के विकास के लिए आवश्यक कदम उठाया गया है और भाषा-शिक्षण पर भी विशेष बल दिया है। संस्कृति के संरक्षण, संवर्धन और प्रसार के लिए हमें उस संस्कृति की भाषाओं का संरक्षण और संवर्धन करना होगा। भाषा, कला एवं संस्कृति को जोड़ती है। भारतीय भाषाओं के शिक्षण और अधिगम को प्रबल किया जाना चाहिए। भारतीय भाषाएँ जो लुप्त हो रही हैं उन पर विशेष ध्यान देना चाहिए। भाषाएँ प्रासंगिक और जीवंत बनी रहें इसके लिए प्रिंट सामग्री, वीडियो, नाटक, कविताएँ आदि उपलब्ध होनी चाहिए, साथ ही शब्द कोशो और शब्द भंडार को जीवंत बनाए रखना चाहिए।

संदर्भ

अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा ब्यूरो-आई.बी.ई. (इलियट एल.जुड, लिबुआ टैन और हर्बर्ट जे.वालबर्ग द्वारा अतिरिक्त भाषाएँ पढ़ाना), शैक्षिक अभ्यास शृंखला-6, पृ.सं. 7–8. www.ibe.unesco.org

रा.शै.अ.प्र.प. भारतीय भाषाओं का शिक्षण (1.3). *राष्ट्रीय फोकस समूह का आधार पत्र*. पृ.सं. 9. राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद, नई दिल्ली.

———. 2023. *विद्यालयी शिक्षा के लिए राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2023*. पृ.सं. 137, 151–153. राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद, नई दिल्ली.

शिक्षा मंत्रालय. 2020. *राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020.* पृ.सं. 87. शिक्षा मंत्रालय भारत सरकार, नई दिल्ली.

रूहेला, सत्यपाल. वार्षिक स्थिति शिक्षा रिपोर्ट 2014. *भारतीय शिक्षा का समाजशास्त्र* (आठवाँ संस्करण 2012). पृ.सं. 74. राजस्थान हिंदी ग्रंथ अकादमी, जयपुर.

संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक, वैज्ञानिक और सांस्कृतिक संगठन (यूनेस्को के साथ साझेदारी में). 2021. *यूनेस्को की शिक्षा के भविष्य की पहल 2021 में योगदान— अंतर्राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य*, पृ.सं. 2.